समाहरणालय, खगड़िया

ई-मेल :- dm-khagaria.bih@nic.in,
generalsectionkhagaria@gmail.com

वेबसाईट :- https://khagria.nic.in

दूरभाष :- 06244-222135

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री कृष्णानन्द आर्य पे0-स्व0 केदार प्रसाद केशरी, ग्राम+पो0-बेलासिमरी, थाना+जिला-खगडिया द्वारा सूचना दी गई है कि उनके पिता केदार प्रसाद केशरी की मृत्यु हो चुकी है। मृतक के नाम से बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-12/1971 (खगडिया थाना) पर धारित बन्दूक को थाना में जमा करने हेतु अनुमति की माँग की गई है।

चूँकि अनुज्ञप्तिधारी केदार प्रसाद केशरी की मृत्यु हो गई है, अतः बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-12/1971 (खगडिया थाना) को आयुध अधिनियम 2016 की धारा 47 (1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है एवं आवेदक श्री कृष्णानन्द आर्य को आदेश दिया जाता है कि वे अपने पिता स्व0 केदार प्रसाद केशरी के बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-12/1971 (खगडिया थाना) पर धारित बन्दूक सं0-$\frac{1449}{1221\,A/2}$ को खगडिया सदर थाना के मालखाना में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें एवं उसके उपरान्त मूल अनुज्ञप्ति पुस्तिका अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त प्रभारी शस्त्र दण्डाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया

ज्ञापांक IV-03/2020 349 /जी0, दिनांक 19.05.2020

प्रतिलिपि :- संबंधित आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, सदर थाना, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, खगडिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आई0टी0 प्रबंधक, खगडिया को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

18/5/20

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया